इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 443] भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 सितम्बर 2011—आश्विन 6, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2011

क्र. बी-4-03-2011-2-पांच (28).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम, की अनुसूची 1-क के अनुच्छेद 6 के अधीन, सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र में, अनुसूची में वर्णित बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनी की किसी नई इकाई द्वारा, निष्पादित किए गए साम्यापूर्ण बंधक/आडमान की लिखतों पर प्रभार्य शुल्क से इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए छूट प्रदान करती है कि नई इकाई को मध्यप्रदेश राज्य की सूचना प्रौद्योगिक नीति, 2006 के अधीन किसी निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी इकाई प्रमाणित किया गया हो:—

अनुसूची

(1) मध्यप्रदेश वित्त निगम;

(2) मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम;

(3) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) में यथापरिभाषित कोई बैंककारी कंपनी;

(4) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक;

(5) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) के अधीन यथा परिभाषित कोई समनुषंगी बैंक;

(6) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) के अधीन गठित किया गया कोई तत्स्थानी नवीन बैंक;

(7) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 2) की धारा 4-क के अधीन यथाविनिर्दिष्ट कोई लोक वित्तीय संस्था.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2011

क्र. बी-4-03-2011-2-पांच (28).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का आदेश क्रमांक बी-4-03-2011-2-पांच, (28) दिनांक 28 सितम्बर, 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 28th Sepetmber 2011

No. F-B-4-03-2011-2-V-(28).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, remits the stamp duty chargeable under article 6 of schedule 1 A of the said Act on instruments of equitable mortgage/hypothecation executed by a new unit of information technology company for obtaining loans from banks/financial institutions mentioned in the schedule in information technology investment area, subject to the condition that the new unit is certified to be an information technology outfit by a designated agency under the Information Technology Policy, 2006 of the state of Madhya Pradesh.

SCHEDULE

1. Madhya Pradesh Finance Corporation;

2. Madhya Pradesh Audyogik Vikas Nigam;

3. A banking company as defined in the Banking Regulation Act, 1949 (No. 10 of 1949);

4. State Bank of India, constituted under the State Bank of India Act, 1955 (No. 23 of 1955);

5. A subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (No. 38 of 1959);

6. A corrresponding new bank constituted under Banking Companies (Acquisition and Transfer of undertakings) Act, 1970 (No. 5 of 1970);

7. A public financial institution as specified in Section 4-A of the Companies Act, 1956 (No. 1 of 1956).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011